

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया**

पत्रांक 210 / 1सी

दिनांक 30/01/2017

सेवा में,

Capt. Rahul Verma,
C/O. RJIL, S-14,15,16 2nd Floor,
NCR Plaza, New Caant Road,
Hathi Badkala, Dehradun

विषय:- माख्डी से कालसी मोटर मार्ग पर ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 26.12.2016

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषय वर्णित मार्ग पर ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने हेतु मार्ग कटिंग की अनुमति निम्न प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है:-

- 1- प्लान में दर्शाये गये निर्धारित स्थान पर ही मार्ग के पक्के भाग को काटा जाये।
- 2- मार्ग के पक्के भाग से 0.5 मी0 हटकर ही कच्चे भाग में खुदाई का कार्य कराया जाये।
- 3- खुदाई का मलवा सड़क के पक्के भाग में न फैलाया जाये तथा खुदाई के बाद मलवे की भराई शीघ्र कर दी जाये।
- 4- मार्ग हर समय यातायात हेतु शुलभ रखा जाये।
- 5- यदि प्लान के अतिरिक्त मार्ग का पक्का भाग क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसका भुगतान अलग से देय होगा।
- 6- यदि कार्य के दौरान कोई सर्विसेज क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 7- उक्त अनुमति दिनांक 05.03.2017 तक ही वैध रहेगी।

अतः आपको अवगत कराना है कि यदि कार्य के दौरान उक्त बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा जारी की गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

पत्रांक / 1सी

दिनांक / 01/2017

प्रतिलिपि:-

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (विश्व बैंक), लोक निर्माण विभाग, चक्राता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ता तृतीय/चतुर्थ, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

कनिष्ठ अभियन्ता(प्रा0), अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया